न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक/कोर्ट/2025/903 दिनांक : 18/07/2025

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जिला जयपुर।

विषय :—प्रकरण संख्या 89/2024 बउनवानी करण सिंह बनाम ओमप्रकाश वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 89/2024 बउनवानी करण सिंह बनाम ओमप्रकाश वगै. में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशिघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2025
2. नजरी नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 903

तहसीलदार,
तहसील जालसू.

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

करणसिंह बनाम ओमप्रकाश।

केस संख्या : 89/24

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। पूर्ववत प्रकरण दिनांक 24/6/25 को पेश हो।	
	24/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। प्रतिवादी को आपत्ति प्रा०पत्र की प्रति दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 2/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	2/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। प्रार्थी/वादी की बहस सुनी गई। प्रतिवादी ने समय चाहा। आ.पेशी पर बहस करें। पत्रावली बहस दिनांक 4/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	4/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प.उप.। उभयपक्ष आपत्ति कुरैजात पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 10/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	10/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प०उपस्थित। उभयपक्ष की आपत्ति कुरैजात पर बहस सुनी गई। आपत्ति प्रा०पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरैजात के अनुसार [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहसीलदार 903 18/07/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 89/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 18.10.2024

करण सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ए–11, सिंह भूमि कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर, महानगर, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान ।

......वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र गंगाराम जाति जांगीड ब्राह्मण निवासी ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बिचपडी, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 10.07.2025

उपस्थिति :–

(1) **श्री महेश चन्द शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से**
(2) **श्री जगदीश सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से**

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 3.3700 हैक्टेयर वाकै ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बिचपडी, भू० अभि० निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है जो प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त है। वादग्रस्त आराजी का काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 ओम प्रकाश का पिता गंगाराम था जिससे वादग्रस्त आराजीयात में से 0.5058 हैक्टेयर आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.06.2012 ईस्वी को देवी प्रसाद साबू पुत्र श्री बद्रीनारायण साबू ने क्रय की तथा खातेदार गंगा राम ने उक्त आराजी का बटवारा कर उक्त खसरा के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर कब्जा सम्भला दिया जिसका विक्रय के संलग्न नक्शे में पीले रंग से चिन्हित किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक होकर उक्त क्रेता देवी प्रसाद साबू के नाम से 5058/33700 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। तत्पश्चात् उक्त आराजी के 5058/33700 हिस्से के काबिज रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार उक्त देवी प्रसाद साबू से वादी करण सिंह ने उक्त हिस्से की 5058/33700 की आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2018 ... मौके पर कब्जा प्राप्त कर क्रय कर ली जिसके आधार पर नामान्तरण तस्दीक होकर क्रयशुदा आराजी की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज की गई। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 5058/33700 (2529/16850) का वादी एवम् शेष 14321/16850 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार काश्तकार है एवम् सहकृषक के रूप में राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज है वादी के

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वाधिकारी देवी प्रसाद साबू ने तत्तकालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 के पिता से विशिष्ट भू–भाग क्रय किया है तथा देवी प्रसाद साबू से वादी ने उसके द्वारा क्रय की गई आराजी क्रय की। उक्त दोनों विक्रय पत्रों में इस तथ्य का अंकन है लेकिन राजस्व कारकूनान ने क्रय की गई आराजी का बटा नम्बर न डालकर राजस्व भू अभिलेखों में वादी के पूर्वाधिकारी देवी प्रसाद साबू के नाम से 5058/33700 (2529/16850) हिस्से की खातेदारी तथा वादी द्वारा देवी प्रसाद साबू से क्रय करने के बाद उक्त हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर दी है। जबकि विक्रय पत्र के आधार पर 0.5029 हैक्टेयर भूमि की तन्हा खातेदारी वादी के पूर्वाधिकारी के नाम व तत्पश्चात् वादी के नाम दर्ज करनी चाहियी थी। वादी अपनी आराजी को ओर अधिक डवलप करना चाहता है लेकिन राजस्व भू–अभिलेखों मे सह खातेदारी दर्ज होने से डवलप नहीं कर पा रहा है वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदारी तहसील मे चलकर अलग–अलग दर्ज करवाने हेतु कहा तो उसने दिनांक 03.10.2014 को खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित करवाने हेतु मना कर दिया जिस कारण वादी को प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर सकता है इसलिए वादीने उसको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु भी वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी उक्त विक्रय पत्रों में दर्ज हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन कराने व राजस्व भू–अभिलेखों मे अलग से खातेदारी दर्ज कराने व लगान निर्धारित करवाने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

वादी प्रस्तुत वाद के लिए वाद कारण दिनांक 03.10.2024 को उत्पन्न हुआ है जिससे दावा अंदर अवधि है। विवादित याचिका सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत विवाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता प्राप्त है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 डिक्री फरमाया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब दावा का अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया अतः दिनांक 17.04.2025 को बंद किया गया।

उभयपक्ष की वाद वाद पर बहस सुनी गई तथा वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया, कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स [illegible] 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम बुगालिया, पटवार [illegible] निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान आराजी [illegible] नम्बर 330 रकबा 3.3700 हैक्टेयर वाकै भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर [illegible]सीमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /1631 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

किये गये। उभयपक्ष को बहस हेतू समय दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कुर्रेजात पर आपत्ति पेश की। वादी ने आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश किया। उभयपक्ष की आपत्ति कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आपत्ति में जाहिर किया की वादी को कुर्रेजात वाई मीटस एण्ड वाउण्डस के सिद्वान्त के विपरित मैन सडक कि और ही संपूर्ण विभाजन प्रस्ताव में दिये गये जो गलत है तथा अतः कुर्रेजात रिपोर्ट खारिज की जावे। वादी ने खण्डन करते हुये ज़ाहिर किया की प्रतिवादी ने वादपत्र का कोई जवाब नहीं दिया है प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गंगाराम से देवीप्रसाद सावू ने क्रय की गई हैं, तथा देवी प्रसाद सावू से वादी ने क्रय की है क्रय के समय विक्रय पत्र में वर्णित स्थान पर देवी प्रसाद सावू के विक्रय पत्र के साथ संलग्न के मुताबिक कुर्रेजात में वादी को जमीन दी गई है जो सही हैतथा कुर्रेजात प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2025 के द्वारा ही भेजे गये है अतः वाद डिक्री किया जावे।

प्रस्तुत तर्को, कुर्रेजात रिपोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। उभयपक्ष को अपने विक्रय पत्रो के अनुसार ही भूमि दी गई है। अतः ऐसी सुरत में प्रतिवादी संख्या 1 की आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज कर तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम हि. पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 330/1 रकबा 2.8642 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. करण सिंह पुत्र मूल सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत ए–11 सिंहभूमि कॉलोनी खातीपुरा, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 330/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को [illegible] निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के [illegible] में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की [illegible] हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

करण सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ए–11, सिंह भूमि कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर, महानगर, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान ।

......वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र गंगाराम जाति जांगीड ब्राह्मण निवासी ग्राम बुगालिया, पटवार हल्का बिचपडी, तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:--

1. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम हि. पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 330/1 रकबा 2.8642 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. करण सिंह पुत्र मूल सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत ए–11 सिंहभूमि कॉलोनी खातीपुरा, जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 330/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.07.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानागा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानागा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कुरेंजात रिपोर्ट ग्राम० - डुगालिया प०स०. बिच्पड़ी तह० जालसू

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु.जयपुर के वाद संख्या 89/2024 उनवान करण सिंह बनाम ओमप्रकाश में निर्णय व डिक्री दिनांक 25-04-25 की पालना में ग्राम डुगालिया आराजी खसरा न. 330 कुल किता-1 रकबा 3.37 हे. पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 19.5.25 की पालना में आज दिनांक 26.5.25 को बहमराह उप तहसीलदार मुण्डोता भू.अ.नि. वृत राधाकिशनपुरा प.ह. बिच्पड़ी के साथ मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गयी :-

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि						कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान	क्र. स.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
1	ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम हि० 14321/16850 जाति ब्राह्मण सा: देह खातेदार करण सिंह पुत्र मूलसिंह हि० 2529/16850 जाति राजपूत ए 11 सिंह भूमि कालोनी खातीपुरा जयपुर खातेदार	330	3.37	चाही 3 3.08 गैर मु.3 0.29	52.36 2.47	1.	ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम हि० पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० देह खातेदार	330/1	[illegible]	[illegible]	
								किता-1	2.8[illegible]		
		किता-1	3.37 हैक्टे.		54.83	2.	करण सिंह पुत्र मूलसिंह हि० पूर्ण जाति राजपूत ए 11 सिंह भूमि कालोनी खातीपुरा जयपुर खातेदार	330/2	0.5058	[illegible] 0.5058	
								किता-1	0.5058 हैक्टे.		

(हस्ताक्षर) भू.अ.नि. बिच्पड़ी

(हस्ताक्षर) 26/05/2025 P. R. Radhakishanpura

(हस्ताक्षर) 26/5/25 उप तहसीलदार मुण्डोता तह. - जालसू

(हस्ताक्षर) 26/5/25 तहसीलदार (मु.अ.) तहसील, जालसू

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

नक्ल- नक्शा
ग्राम- बुगालिया
प०ह० - बिचपड़ी
तह० - जालसू
जिला - जयपुर

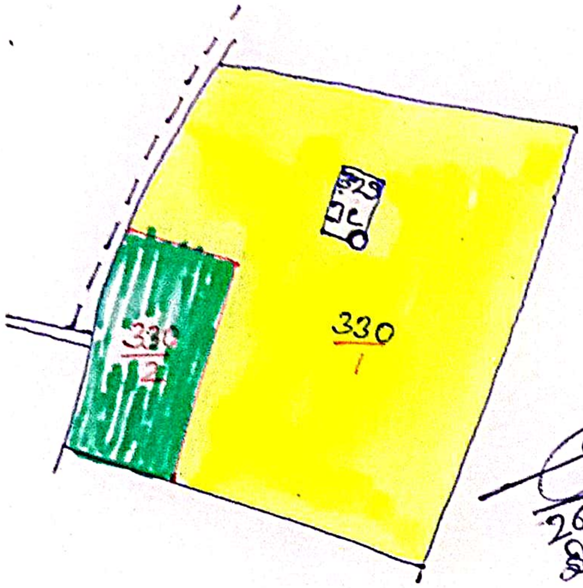

26/05/25
ह०प० बिचपड़ी

पक्षकार :-

ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम

करण सिंह पुत्र मूलसिंह

26/05/2025
ह०प० बिचपड़ी

26/05/2025
I.L.R. Radhakishanpura

26/5/25

26/5/25

उप तहसीलदार
मुण्डोता ता० जालसू

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील,जालसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested